

आदेश

उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-1, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1388(1)/XVIII(1)/2016-03(3)/2014-T.C-II, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के द्वारा शासनादेश संख्या- 1754/XVIII(1)/2015-03(3)/2014-TC-1, दिनांक 19 दिसम्बर, 2014 द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी/लेखपाल) के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रशिक्षण तिथि 4.11.2016 को अपरिहार्य कारणों से अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में जनपद चम्पावत से राजस्व उपनिरीक्षक(पटवारी) प्रशिक्षण हेतु चयनित समस्त अन्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 4.11.2016 अग्रिम आदेश तक शासन द्वारा स्थगित किये जाने के फलस्वरूप, इस कार्यालय से पूर्व निर्गत आदेश संख्या-102 /सात-रा०उपनि०(पट०)प्रशि०(एएलआरओ) /2015-16, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 स्थगित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि चयनित अन्यर्थी दिनांक 4.11.2016 को प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु उपरिथित न हों। शासन द्वारा प्रशिक्षण की तिथि नियत किये जाने उपरान्त पृथक से सूचित किया जायेगा।

जिलाधिकारी
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत

संख्या- 460 /सात-रा०उपनि०(पट०)प्रशि०-तिथि स्थ०आदेश(एएलआरओ) /2015-16, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-1, देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3- आयुक्त कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- जिलाधिकारी अल्मोड़ा।
- 5- कार्यकारी निदेशक, राजस्व पुलिस एवं भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा।
- 6- ~~प्रभारी एन०आई०सी०~~ चम्पावत को इस निर्देश के साथ कि कृपया जनसाधारण के सूचनार्थ, उपरोक्त आदेश जिलाधिकारी चम्पावत की वेबसाइट में तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 7- जिला सूचना अधिकारी चम्पावत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त सूचना जनहित में स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 8- तहसीलदार चम्पावत/लोहाघाट/बाराकोट/पाटी/पूर्णागिरि(टनकपुर) को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने क्षेत्रान्तर्गत के अन्यर्थियों को अपने स्तर से भी उक्त सूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 9- नोटिस बोर्ड, जिला कार्यालय चम्पावत।

जिलाधिकारी
चम्पावत।